

12-11-16

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत के समक्ष पेश किया गया।  
म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कम्पनी के सहायक/कनिष्ठ अभियंता ने  
उपस्थित होकर आवेदनपत्र इस आशय का पेश किया कि वर्तमान  
प्रकरण तकनीकी भूल के कारण वापस लिए जाने का निवेदन किया है।  
उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। विचारोपरांत जबकि  
परिवादी तकनीकी भूल के कारण परिवादपत्र वापस लेना चाहता है।  
परिवादपत्र जिसमें कि अभी कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई है वापस प्रदान  
किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(डी०सी० थपलियाल)

पीठासीन अधिकारी

एवं अपर जिला जज गोहद

न० लो० अ० ख० पी० क० ०१९

सदस्य क० १

सदस्य क० २

विकारन का कर्मचारी

MTE